



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 18 अप्रैल, 1978

चैत्र 28, 1900 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग—1

संख्या 922/सत्रह-वि०-1-16-78

लखनऊ, 18 अप्रैल, 1978

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश प्रतिस्थानी मजदूर नियोजन विधेयक, 1978 पर दिनांक 16 अप्रैल, 1978 ई० को अनुमति प्रदान की और यह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1978 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनायें इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश प्रतिस्थानी मजदूर नियोजन अधिनियम, 1978

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1978)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

कतिपय औद्योगिक अधिष्ठानों में प्रतिस्थानी मजदूरों के नियोजन और उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अन्तिसर्वे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश प्रतिस्थानी मजदूर नियोजन अधिनियम, 1978 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) इस 26 जनवरी, 1978 स प्रवृत्त समझा जायगा।

संक्षिप्त वाम;
विस्तार शीर्ष
प्रारम्भ।

परिभाषायें

2—इस अधिनियम में,—

(1) "विनियुक्ति भत्ता" का तात्पर्य उस धनराशि से है जो किसी मजदूर को एक दिन के लिए देय मजदूरी के तैंतीस प्रतिशत के बराबर हो;

(2) "औद्योगिक अधिष्ठान" का तात्पर्य सूत, जूट, ऊन, वस्त्र, कृत्रिम रेशा, कृत्रिम धागा के कारखानों से संबंधित किसी अधिष्ठान से है और इसमें ऐसे अन्य अधिष्ठान भी सम्मिलित हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाय;

(3) "आरक्षित-समूह मजदूर" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिस इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्ववर्ती चौबीस कलेंडर मास के दौरान मालिक द्वारा किसी स्थायी प्रकार के काम पर 300 दिन या उससे अधिक दिन के लिए नियोजित किया गया हो;

(4) "मजदूरी" का तात्पर्य धन के रूप में अभिव्यक्त सभी पारिश्रमिक से है (चाहे वह वेतन, भत्ता या अन्य प्रकार से हो) जो नियोजन के स्पष्ट या उपलक्षित निबन्धनों की पूर्ति हो जाने पर मजदूर को उसके नियोजन के या ऐसे नियोजन में किये गये कार्य के संबंध में देय हो;

(5) शब्द "मालिक" और "मजदूर" के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो संयुक्त प्रांतीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947 में उनके लिये दिये गये हैं;

(6) शब्द "कारखाना" का वही अर्थ होगा जो कारखाना अधिनियम, 1948 में उसके लिए दिया गया है।

मालिक समूह मजदूरों का रजिस्टर रखेगा।

3—प्रत्येक मालिक आरक्षित-समूह मजदूरों का रजिस्टर रखेगा और उसमें समस्त आरक्षित-समूह मजदूरों के नाम श्रेणीवार और ऐसे ज्येष्ठता-क्रम में जिसकी गणना इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्ववर्ती चौबीस कलेंडर मास के दौरान अधिकतम कार्य-दिवस के आधार पर की जायगी, दर्ज करेगा।

समूह मजदूरों की सूची प्रदर्शित की जायगी।

4—आरक्षित समूह मजदूरों के नामों की एक श्रेणीवार सूची सम्बद्ध औद्योगिक अधिष्ठान के सूचना-पट्ट पर इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से तीस दिन के भीतर विचकायी जायगी।

कार्य की व्यवस्था न होने पर विनियुक्ति भत्ता का भुगतान।

5—जब कोई आरक्षित-समूह मजदूर का के लिए उपस्थित होता है और मालिक उसे कार्य देने में विफल रहता है, तब वह ऐसे मजदूर को ऐसे प्रत्येक दिन के लिए विनियुक्ति भत्ता देगा:

परन्तु कोई विनियुक्ति भत्ता लगातार बारह कलेंडर मास की किसी अवधि में तब्बे दिन से अधिक के लिए देय नहीं होगा।

आरक्षित-समूह मजदूरों की स्थायी नियुक्ति।

6—प्रत्येक मालिक किसी श्रेणी के संबंध में, जिसमें रिक्ति हो, आरक्षित-समूह मजदूरों को स्थायी रूप से नियुक्त करते समय उसी क्रम का अनुसरण करेगा जिस क्रम में ऐसे मजदूरों के नाम धारा 3 के अधीन रखे गये रजिस्टर में दर्ज हों।

शास्ति

7—कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माना से या दोनों से दंडनीय होगा।

अपराध का संज्ञान

8—(1) कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान जिला मजिस्ट्रेट या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की गयी अपराध के तथ्यों की लिखित रिपोर्ट के बिना नहीं करेगा।

(2) प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध पर विचार नहीं करेगा।

कम्पनियों द्वारा अपराध।

9—(1) जब कभी इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो तब ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी का प्रभारी रहा हो या उसके कार्य-संचालन के लिए उसके प्रति उत्तरदायी रहा हो और कम्पनी को भी अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और दंड दिया जा सकेगा:

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से इस अधिनियम के अधीन ऐसा कोई व्यक्ति दंडनीय नहीं होगा यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था या उसने उस अपराध के निवारण के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह साबित हो जाय कि अपराध किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है या उसकी ओर से कोई उपेक्षा किये जाने के कारण हुआ है तो उसके विरुद्ध तदनुसार कार्यवाही की जा सकेगी और दंड दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसमें कोई कर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी सम्मिलित है; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में, "निदेशक" का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

10—इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनका अल्पीकरण करेंगे।

11—(1) उत्तर प्रदेश प्रतिस्थानी भजदूर नियोजन अध्यादेश, 1978 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अर्थात् कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समयों पर प्रवृत्त था।

अन्य विधियों के
विषय में अपवाद
निरसन

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र देव शर्मा,
सचिव।

No. 922 (2)/XVII-V-1—16-1978

Dated Lucknow, April 18, 1978

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Pratisthani Mazdoor Niyojan Adhiniyam, 1978 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 4 of 1978) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 16, 1978.

THE UTTAR PRADESH EMPLOYMENT OF SUBSTITUTE WORKMEN ACT, 1978

(U. P. ACT NO. 4 OF 1978)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

to provide for the employment of substitute workmen in certain industrial establishments and for matters connected therewith.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Employment of Substitute Workmen Act, 1978.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on January 26, 1978.

2. In this Act,—

(1) "disappointment allowance" means an amount equal to Thirty-Three per cent of the wages payable to a workman for one day;

(2) "industrial establishment" means any establishment pertaining to cotton, jute, woollen, textiles, synthetic fibres, synthetic yarn factories, and includes such other establishments as may be notified by the State Government in this behalf;

(3) "reserve pool workman" means a person who was employed by an employer for 300 days or more during the twenty-four calendar months immediately preceding the commencement of this Act on a job of permanent nature;

(4) "wages" means all remuneration (whether by way of salary, allowances or otherwise) expressed in terms of money, which would, if the terms of employment express or implied were fulfilled, be payable to a workman in respect of his employment or of work done in such employment;

Short title, extent
and commence-
ment.

Definitions.

(5) the words "employer" and "workmen" shall have the meanings respectively assigned to them in the U.P. Industrial Disputes Act, 1947;

(6) the word "factory" shall have the meaning assigned to it in the Factories Act, 1948.

Employer to maintain register of pool workmen.

3. Every employer shall maintain a register of reserve pool workmen and shall enter therein the names of all reserve pool workmen category-wise and arrange in order of seniority reckoned on the basis of the highest number of days worked during the twenty-four calendar months, immediately preceding the commencement of this Act.

List of pool workmen to be displayed.

4. A list of the names of the reserve pool workmen category-wise shall be pasted on the notice board of the industrial establishment concerned within thirty days from the date of commencement of this Act.

Payment of disappointment allowance on failure to provide work.

5. When a reserve pool workman presents himself for work and the employer fails to give work to him, he shall pay to such workman disappointment allowance for every such day :

Provided that no disappointment allowance shall be payable for more than ninety days, during any period of continuous twelve calendar months.

Permanent appointment of reserve pool workmen.

6. Every employer shall while making permanent appointment of reserve pool workmen in relation to any category in which vacancy occurs, follow the order in which the names of such workmen are entered in the register maintained under section 3.

Penalty

7. Whoever contravenes any provision of this Act shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine or with both.

Cognizance of offence.

8. (1) No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act except on a report in writing of the facts constituting such offence made by the District Magistrate or any officer authorised by him in this behalf.

(2) No Court inferior to that of a Magistrate of the first class shall try any offence punishable under this Act.

Offences by companies.

9. (1) Whenever an offence under this Act has been committed by a company, every person who at the time the offence was committed was in charge of, or was responsible to the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly :

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment under this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer, he shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation—For the purpose of this section—

(a) "company" means any body corporate and includes a firm or other association of individuals; and

(b) "director", in relation to a firm, means a partner in the firm.

Savings for other laws.

10. The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force.

Repeal.

11. (1) The Uttar Pradesh Employment of Substitute Workmen Ordinance, 1978 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act as if this Act were in force at all material times.

By order,
R. C. DEO SHARMA,
Sachiv.